यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, काशीपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, काशीपुर के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.08.2018 से 18.08.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों एवं श्री निखिल गोस्वामी वरि.ले.प. द्वारा दिनांक 18.01.2017 से 27.01.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः अलीगंज रोड जाते हुए महुआखेड़ा तक बायी तरफ का चीमा चौराहे से कुण्डेश्वरी जाते हुए कोसी नदी तक दायी तरफ का क्षेत्र।

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	8150.58
2016-17	8675.22
2017-18	4083.94 + 1039.96 (GST)

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	(+)	(-)
2015-16	लागू नही है					
2016-17						
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, काशीपुर** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, काशीपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह --------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 अ

प्रस्तर- 01 कर एवं ब्याज तथा अर्थदण्ड के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹41.61 लाख।

मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–4 (5) (ख) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यौहारी विहित रीति द्वारा अवधारित अपने शुद्ध आवर्त पर संकर्म संविदा के निष्पादन में अर्न्तग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में ऐसी दर से **जैसा** कि ऊपर उपधारा (2) के अधीन उपबन्ध किया जाये, कर का भुगतान करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई माल संकर्म संविदा के निष्पादन में अर्न्तग्रस्त हो और ऐसे माल पर राज्य के अन्दर पूर्ववर्ती विक्रय या क्रय पर धारा–3 के उपबन्धों के अधीन धारा–4 की उपधारा (2) में विहित दर पर कर का भुगतान किया गया है, तो संकर्म संविदा के अन्तर्गत सकल आवर्त में से ऐसे माल की क्रय कीमत को घटा दिया जायेगा।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम, 2005 के नियम–14 (1) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अर्न्तग्रस्त माल में सम्पत्ति के अन्तरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) से सम्बन्धित कारबार के आवर्त पर धारा–4 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन कर की संगणना संकर्म संविदाओं से सम्बन्धित शुद्ध आवर्त पर की जायेगी। उपनियम (2) में प्रावधान है कि नियम–1 में निर्दिष्ट शुद्ध आवर्त का अवधारण करने में निम्नलिखित धनराशियों को ब्यौहारी द्वारा प्राप्त या प्राप्त कुल **धनराशियों** में से घटा दिया जायेगा।

(क) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 एवं 5 से आच्छादित माल के विक्रय मूल्य को **दर्शाने** वाली **धनराशि**

(ख) अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन करमुक्त माल के मूल्य को **दर्शाने** वाली **धनराशि**

(ग) ऐसे माल जिसके विक्रय या क्रय पर अधिनियम के अधीन किसी अन्य स्तर पर कर आरोपित किया गया है या आरोपणीय है, के मूल्य को दर्षाने वाली **धनराशि**

(घ) संविदाकर्ता द्वारा संविदाकार को आपूर्ति किये गये माल को **दर्शाने** वाली **धनराशि**

(ड.) संकर्म संविदा के निष्पादन में मजदूरी को **दर्शाने** वाली **धनराशि**

(च) संकर्म संविदा के चाहे पूरा या अंशतः निष्पादन के प्रतिफल के रूप में उप संविदाकार को भुगतान की गयी सभी **धनराशि**

परन्तु यह कि इस उपखण्ड के अधीन कोई कटौती तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि व्यौहारी जो इस कटौती का दावा करता है, इस **आशय** का सबूत प्रस्तुत न करे कि उप संविदाकर एक पंजीकृत व्यौहारी है जो अधिनियम के अधीन कर का दायी है और ऐसे उप संविदाकार द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दाखिल की गई आवर्त की विवरणी में इस प्रकार की **धनराशि** सम्मिलित है।

कार्यालय उपायुक्त (क0 नि0)-2, राज्य कर, काशीपुर के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि संविदाकार EMC ltd. टिन सं0 05011220306 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 मे कुल भुगतान ` 15,82,43,874 का घोषित किया गया। उक्त धनराशि मे से उप संविदाकार को ` 2,72,85,250 भुगतान किया जाना घोषित किया गया। जिसमे से `1,61,75,289 का भुगतान पंजीकृत उप संविदाकार को किया गया था। जबकि ` 1,11,09,961 का भुगतान अपंजीकृत उप संविदाकार को किया गया था। उपरोक्त नियम च के अनुसार केवल पंजीकृत उप संविदाकार को भुगतान की गयी धनराशि ही संविदाकार को प्राप्त धनराशि मे से घटाया जाएगा। अपंजीकृत उप संविदाकार को भुगतान की गयी धनराशि ` 1,11,09,961 पर नियमानुसार कर देय होगा। संविदाकार के कर निर्धारण के अनुसार ` 9,07,92,529 मे से 13.5 प्रतिशत दर 24.78 प्रतिशत (`2,25,02,914x 100/ `9,07,92,529) है। अतः उक्त के अनुसार ` 1,11,09,961 मे से 24.78 प्रतिशत ` 27,53,048 पर 13.5 प्रतिशत की दर से ` 3,71,661 एवं शेष धनराशि ` 83,56,913 (11109961-2753048) पर 5 प्रतिशत की दर से ` 4,17,846 कुल ` 7,89,507 (` 3,71,661 +` 4,17,,846) का कर संविदाकार पर आरोपणीय था।

उक्त के अतिरिक्त टिन सं 05007651288 पर अंकित संविदाकार श्री कुबेर कन्स्ट्रक्सन & बिल्डर धनराशि ` 9,19,339 का नाम उक्त टिन सं पर अंकित नहीं था। अतः उक्त धनराशि भी अपंजीकृत उप संविदाकार को भुगतान मानते हुये 5 प्रतिशत की दर से कर ` 45,967 आरोपणीय था।

उक्त से संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरांत कार्यवाही करके लेखापरीक्षा को अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

2. उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35(4) के अनुसार, टी0डी0एस0 की धनराशि कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा उस माह, जिसमें कटौती की जाय, के आगामी माह की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा करेगा ।

अधिनियम की धारा 35(8) के अनुसार, कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उपधारा (4) की अपेक्षानुसार जमा करने

में असफल रहता है, तो करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गई और यदि काटी गयी तो इस प्रकार सरकारी कोषागार में जमा न की गयी, धनराशि के दुगुने से अनधिक का भुगतान करेगा।

अधिनियम की धारा 35(9) के अनुसार, उपधारा (8) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गई धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो वह इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गयी और यदि काटी गयी तो इस प्रकार जमा न की गयी, धनराशि पर उस तारीख से जब ऐसी धनराशि कटौती योग्य थी, से उस तारीख तक जब ऐसी धनराशि वास्तव में जमा की गयी, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का देनदार होगा ।

उपरोक्त संविदाकर द्वारा उप संविदाकार को भुगतान की गयी धनराशि ` 2,72,85,250 जिसके संबंध मे संविदाकार द्वारा धनराशि ` 16,37,115 का TDS काटा गया है। जिसे विलंब से जमा किया है। उक्त विवरण निम्नलिखित है।

क्र0 सं0	माह का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	काटा गया टीडीएस	टीडीएस जमा करने की निर्धारित तिथि	टीडीएस जमा करने की वास्तविक तिथि	ब्याज की धनराशि	अर्थदंड की धनराशि कुल टीडीएस का दो गुना
01	अप्रैल-2013	1826967	109618	31.05.2013	--	--	219236
02	मई-2013	1248750	74925	30.06.2013	21.01.2014	6266	149850
03	जून-2013	3613883	216833	31.07.2013	21.01.2014	15423	433666
04	जुलाई-2013	4080067	244804	31.08.2013	21.01.2014	14353	489608
05	अगस्त-2013	3307233	198434	30.09.2013	21.01.2014	9154	396868
06	नवम्बर-2013	294300	17658	31.12.2013	03.04.2014	684	35316
07	दिसम्बर-2013	2983883	179033	31.01.2014	03.04.2014	4697	358066
08	फ़रवरी-2014	9930167	595810	31.03.2014	03.04.2014	735	1191620
योग		**27285250**	**1637115**			**51312**	**3274230**

उपरोक्त विवरण के अनुसार अप्रैल माह की TDS धनराशि `1,09,618 जमा करने संबंधी चालान सं अंकित नहीं थी । संविदाकार द्वारा काटा गया टीडीएस विलंब से जमा किया गया है। जिस पर कर की धनराशि के

दोगुना का अर्थदण्ड ` 32,74,230 संविदाकार पर आरोपणीय थी। उक्त धनराशि पर ब्याज की धनराशि ` 51,312 भी देय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जचोपरांत कार्यवाही करके अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया। TDS धनराशि `1,09,618 जमा करने संबंधी चालान की प्रति उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया गया।

अत: ` 4161016 (789507 + 45967+3274230+51312) की राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

अत: ` 4161016 (789507 + 45967 + 3274230 + 51312) की राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर- 01 कर का न्यूनारोपण एवं कर जमा न कराये जाने से राजस्व क्षति ` 3.65 लाख

कार्यालय उपायुक्त (क0नि0)-**2,** राज्य कर**,** काशीपुर के शासन की अधिसूचना संख्या-282/XXXVI(3)/2017/41(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 के अनुसार स्वतः कर निर्धारण वादो/अभिलेखो की जांच मे निम्नलिखित व्यापरियो के स्वतः कर निर्धारण पत्रावली मे निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी **;**

1- व्यापारी सर्वश्री एग्रीमास केमिकल्स**,** काशीपुर टिन सं0 05002477987 के द्वारा वर्ष 2015-16 में कुल बिक्री ` 2,11,24,572 की घोषित की गयी है। जिस पर कुल कर `10,56,229 स्वीकार किया गया है। चारोस तिमाही की summary के अनुसार कुल कर `3,69,055 एवं आई टी सी का लाभ ` 5**,**336 कुल ` 374391 जमा किया गया है। इस प्रकार ` 6,81,838 **(**`10,56,229 **–** ` 3,74,391**)** का कर कम जमा किया गया था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि व्यापारी का स्वीकृत कर `10,56,229 है। आई टी सी क्लेम्ड `5**,**336**,** विभिन्न चालानो से जमा `10,25,277, वर्ष 2014-15 से अग्रसारित आई टी सी `26**,**171 एवं अवशेष आई टी सी `555 है। विलंब से जमा देय राशि पर ब्याज `2420 जमा कराया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि व्यापारी द्वावा कोई भी केंद्रीय बिक्री नहीं की गयी है। धनराशि `1**,**10**,**506 केंद्रीय मद जमा कर दी गयी है यह प्रांतीय कर से संबन्धित है। केंद्रीय मद मे जमा धनराशि को प्रांतीय मद मे जमा कराया जाना एवं अवशेष व्याज की धनराशि जमा कराया जाना आगामी लेखापरीक्षा मे प्रतीक्षित रहेगा।

2-व्यापारी सर्वश्री मैगनम आर्गेनिक्स**,** काशीपुर टिन सं0 05010473212 के द्वारा वर्ष 2015-16 में कुल बिक्री `9,87,03,027 जिस पर कुल कर ` 44,64,651 दिया जाना स्वीकार किया गया है। उक्त बिक्री मे से फार्म-11 के सापेक्ष ` 2,30,37,977 एवं केंद्रीय बिक्री ` 6,21,500 की शामिल थी । पत्रवाली पर उपलब्ध 11 फार्म-11 धनराशि ` 2,07,82,329 एवं 1 फार्म-सी धनराशि ` 5,44,680 संलग्न है। इस प्रकार ` 22,55,648 **(**`2,30,37,977 – `2,07,82,329) के फार्म-11 कम होने पर 11.5 प्रतिशत की दर से कर `2,59,400 एवं `76820( `6,21,500- `5,44,680) के फार्म **–** सी कम होने पर 11.5 प्रतिशत की दर से ` 8,834 कर कुल `2,68,234 (`2,59,400 + `8,834) का कर व्यापारी पर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था। आई टी सी के दावा के संबंध मे क्रय सूची संलग्न नहीं थी।

उक्त से संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरांत कार्यवाही करके लेखापरीक्षा को अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

3-व्यापारी सर्वश्री ओरिएन मेटल मोल्डर्स काशीपुर टिन सं-05009647645 कर निर्धारण वर्ष 2014-15 मे कुल बिक्री `2,47,37,040 की घोषित करते हुये ` 6,03,800 का कर अदा करना स्वीकार किया है। उक्त बिक्री मे फार्म-11 के सापेक्ष ` 2,11,01,741 की बिक्री स्वीकार की है जिसके समर्थन मे ` 2,02,81,918 के 17 फार्म-11 ही संलग्न है। अतः अंतर की धनराशि पर ` 8,19,823 (`2,11,01,741 – `2,02,81,918) पर 11.5

प्रतिशत की दर से (ऑटो पार्ट्स की बिक्री पर) ` 94,280 का कर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था। आई टी सी के दावा के संबंध मे क्रय सूची संलग्न नही थी।

उक्त से संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि व्यापारी द्वारा वार्षिक विवरण के क्रमांक-67 पर 686350 की सेल रिटर्न पर `13,727 क्रेडिट लिया गया है। जिसे कम करने उपरांत `8,19,823-`6,86,350 अर्थात `1,33,473 की बिक्री फार्म-11 से अनाच्छादित बनती है जिस पर 13.5 प्रतिशत की दर से `18,019 व्यापारी पर कर अवशेष बनता है जिसके संबंध मे अपेक्षित कार्यवाही करते हुये वसूली की जाएगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि सेल रिटर्न `13727 के संबंध मे क्रेडिट नोट की प्रति पत्रवाली पर उपलब्ध नहीं थी न ही विभाग द्वारा इसे उपलब्ध कराया गया है।
अत: ₹ 364934 (2420 + 268234 + 94280) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2 'ब'</u>

प्रस्तर- 02 देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.56 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 (1) के सारणी क्रमांक 1 के अनुसार, ऐसे ब्यौहारी जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में ` 50 लाख से अधिक का आवर्त रहा है, वह कर, समाधान धनराशि विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक जमा करेगा ।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (vii) (ख) में प्रावधान है कि यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है, तो वह ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये से अधिक हो, उल्लिखित धनराशि का भुगतान करेगा ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)-द्वितीय, वाणिज्य कर/राज्य कर विभाग, काशीपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि **<u>संलग्नक-'क'</u>** में उल्लिखित व्यापारियों द्वारा युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है । अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा-58(1)(vii) के अनुसार ` 55779 अर्थदण्ड आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अवगत कराया जायेगा ।

अतः देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.56 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक – "क"

देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

क्रम सं0	ब्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर की राशि (`)	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	अर्थदण्ड (कर का न्यूनतम 10%) (`)
1.	सर्वश्री फार्म फ्रेण्ड्स, काशीपुर (टिन नं0 05002511937)	2015-16 (स्वतः वाद)	05/2015	14,730	20.06.2015	21.07.2015	1 माह से अधिक	1,473
			07/2015	6,260	20.08.2015	26.10.2015	1 माह से अधिक	626
			08/2015	1,30,660	20.09.2015	26.10.2015	1 माह से अधिक	13066
			09/2015	17,650	20.10.2015	26.10.2015	6 दिन	1,765
			10/2015	21,260	20.11.2015	21.01.2016	1 माह से अधिक	2126
			11/2015	4,740	20.12.2015	21.01.2016	1 माह से अधिक	474
			01/2016	22,540	20.02.2016	21.04.2016	1 माह से अधिक	2254
			02/2016	34,940	20.03.2016	21.04.2016	1 माह से अधिक	3494
2.	सर्वश्री ब्रुकहिल इण्टरनेशनल प्रा0 लि0, काशीपुर (टिन नं0 05012807226)	2015-16 25 (7)	04/2015	1,49,339	20.05.2015	20.05.2015 (cheque date) 20.06.2015 (Receipt date)	1 माह	14934
			08/2015	1,55,665	20.09.2015	19.09.2015 (cheque date) 20.10.2015 (Receipt date)	1 माह	15567

योग	**55779**

STAN

प्रस्तर- 01 प्रपत्र-XI के विरूद्ध संव्यवहारों का सत्यापन न कराया जाना ` 29.39 लाख ।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड (आई0टी0 अनुभाग), देहरादून के परिपत्र संख्याः 6350 दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के द्वारा Form XI के विरूद्ध दिनांक 01.01.2014 के पश्चात् के समस्त संव्यवहारों का सत्यापन फार्म प्रस्तुत किये जाने के तीन कार्यदिवस के भीतर अनिवार्यतः किया जाये ।

लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-द्वितीय, राज्य कर, काशीपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री हरि वनस्पति उद्योग लि0, काशीपुर द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में प्रपत्र-11 के विरूद्ध घोषित बिक्री के समर्थन में "**संलग्न विवरण**" में उल्लिखित 21 प्रपत्र-11 ` 29,38,570 की बिक्री से आच्छादित प्रस्तुत किये गये । कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.04.2017 के द्वारा खातापालक को इन प्रपत्रों का सत्यापन सम्बन्धित कार्यालय से कराना सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश है ।

लेखापरीक्षा द्वारा जांच में पाया गया कि उपरोक्त प्रपत्र-**XI** के सत्यापन सम्बन्धी रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध नहीं है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया गया कि पत्रावली पर प्रस्तुत ऑनलाईन फार्म-11 का सत्यापन ऑनलाईन किया गया है तथा मैनुअल फार्म-11 के सत्यापन हेतु सम्बन्धित अधिकारी को पत्र सं0 383 दिनांक 16.08.2018 प्रेषित किया गया है ।

अतः उक्त प्रपत्र-XI (Form-11) का सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रस्तर यथावत् रहेगा ।

"संलग्न विवरण"

Hari Vanaspati Udyog Ltd. (Unit Hari Oxygen)

Sale against 2% against Form-11

(01.04.2013 to 31.03.2014)

Sl. No.	Particulars	Qtr.	Form No.	Amount (`)
1.	B.T.C. Ind. P. Ltd. Kichha	I	270096	89,775
2.	B.T.C. Ind. P. Ltd. Kichha	II	270097	75,600
3.	B.T.C. Ind. P. Ltd. Kichha	III	270098	45,990
4.	B.T.C. Ind. P. Ltd. Kichha	IV	2443327	39,092
5.	Delta Electronics Haldua	I	348249	1,28,536
6.	Delta Electronics Haldua	II	348319	5,08,194
7.	Delta Electronics Haldua	III	348322	4,58,779
8.	Delta Electronics Haldua	IV	-	2,64,679
9.	Galwaliya Ispat Udyog P Ltd Kashipur	I	113630	76,000
10.	Galwaliya Ispat Udyog P Ltd Kashipur	II	113629	1,13,500
11.	Galwaliya Ispat Udyog P Ltd Kashipur	III	113628	78,500
12.	Galwaliya Ispat Udyog P Ltd Kashipur	IV	638559	62,500
13.	Kashi Enterprises, Kashipur	I	148099	42,400
14.	Kashi Enterprises, Kashipur	II	133285	69,200
15.	Kashi Enterprises, Kashipur	III	148089	67,825
16.	Kashi Enterprises, Kashipur	IV	401307513	73,100
17.	Kashi Vishwanath Steels Ltd.	I	148356	1,70,000
18.	Kashi Vishwanath Steels Ltd.	II	148357	2,02,000
19.	Kashi Vishwanath Steels Ltd.	III	148321	72,900
20.	Kashi Vishwanath Steels Ltd.	III	1503185509	1,42,200
21.	Kashi Vishwanath Steels Ltd.	IV	1400906910	1,57,800
			Total	**29,38,570**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-09/2015-16	-	03	-
CT-44/2016-17	01	01,02,03,04	-
CT-74/2017-18	01	01	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, काशीपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1	श्री आर.एल. वर्मा	उपायुक्त	04/2017 से 03/2018 तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - II, राज्य कर, काशीपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र